भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.3722

जिसका उत्तर 18.03.2021 को दिया जाना है

फास्टैग का उपयोग

3722. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के लिए फास्टैग के उपयोग को अनिवार्य घोषित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में फास्टैग के बिना चल रहे वाहनों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फास्टैग रहित वाहनों को किसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कंपाउंड कर लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) टोल एकत्र करने वाली एजेंसियों/सरकार द्वारा स्थानीय लोगों, ग्रामीणों और किसानों जिन्हें दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए टोल प्लाजा पार करने की आवश्यकता पड़ती है की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने और शुल्क प्लाजाओं से निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए सरकार ने 15/16 फरवरी, 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं की सभी लेन को "शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन" घोषित किया है।

(ख): देश में फास्टैग के बिना परिचालित वाहनों की अनुमानित संख्या लगभग 2.065 करोड़ है।

(ग) और (घ): मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 में यह प्रावधान है कि "जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम, विनियमन अथवा इसके अंतर्गत दी गई अधिसूचना का उल्लंघन करता है, यदि

अपराध के लिए कोई शास्ति का प्रावधान नहीं किया जाता है, तो पहले उल्लंघन के लिए जुर्माना पांच सौ रुपये तक और किसी भी दूसरे या उसके बाद के उल्लंघन के लिए जुर्माना एक हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

(ङ.): राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार गैर-वाणिज्यिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले के लिए मासिक पास का प्रावधान है। किसी विशेष जिले में पंजीकृत एक वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहन को छोड़कर) उस जिले में अवस्थित सभी शुल्क प्लाजाओं पर निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का 50% का भुगतान करने का पात्र है। इसके अलावा, जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध नहीं है, वहां दो पहिया, तीन पहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

*****